न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 16/2017

अपीलान्ट्स

रमेश कुमार पुत्र बृजमोहन, जाति दवे श्रीमाली ब्राह्मण, निवासी गांव धुंधाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. रामचन्द्र पुत्र बृजमोहन, जाति दवे श्रीमाली ब्राह्मण, निवासी गांव धुंधाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत धुंधाड़ा, जरिये सरपंच।

पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध भूमि वास्ते पट्टा निरस्त करने जो ग्राम पंचायत धुंधाड़ा द्वारा पट्टा रजि0 सं0 17, पट्टा संख्या 51 मिसल नम्बर 15/2000 दिनांक 17.02.2001 को जारी किया गया।

— — —

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री विक्रम सिंह चाड़वास उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री पी0 डी0 दवे उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत धुंधाड़ा स्वयं उपस्थित।

–आदेश – **दिनांक :13.11.2019**

प्रार्थी अभिभाषक ने यह पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध भूमि वास्ते पट्टा निरस्त करने जो ग्राम पंचायत धुंधाड़ा द्वारा पट्टा रजि0 सं0 17, पट्टा संख्या 51 मिसल नम्बर 15/2000 दिनांक 17.02.2001 को जारी किया गया को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता की कब्जा व मिल्कियतसुदा जमीन वाके ग्राम धुंधाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आई है, जिस पर प्रार्थी का कदीम से कब्जा है। प्रार्थी ने उपरोक्त जायदाद श्रीमती रामप्यारी बहन पत्नी नृसिंह भाई दवे, महेन्द्र कुमार दवे पुत्र नृसिंह भाई दवे व पुरूषोतम भाई दवे पुत्र नृसिंह भाई दवे से जरिये इकरारनामा दिनांक 18.08.2000 को खरीद की तथा इकरारनामा अपने हक में निष्पादित करवाया। उपरोक्त वर्णित जायदाद का पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थी ने कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया, न ही नियमन हेतु कोई शुल्क जमा करवाया। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 ने

उपरोक्त वर्णित जायदाद का पट्टा विलेख यानि आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा रजि0 सं0 17, पट्टा संख्या 51 मिसल नम्बर 15/2000 दिनांक 13.11.2000 के अनुसरण में दिनांक 17.02.2001 तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धुंधाड़ा एवं ग्राम सेवक/पदेन सचिव ग्राम पंचायत धुंधाड़ा द्वारा रमेश कुमार श्रीराम चन्द्र पुत्र बृज मोहन के नाम संयुक्त रूप से जारी कर दिया। सलंग्न पट्टा विलेख पर अकेले रामचन्द्र के हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि इस पट्टा विलेख को जारी करवाने हेतु प्रार्थी/अपीलार्थी ने कभी आवेदन नहीं किया है परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से सांठ गांठ कर षडयंत्र रचकर प्रार्थी के नाम के साथ अप्रार्थी संख्या 1 रामचन्द्र का नाम जोड़ दिया। जब खरीद अकेले प्रार्थी के नाम से है तथा कब्जा भी प्रार्थी का है तो कब्जे के अभाव में अप्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। कानूनन 100 रूपये से अधिक की अचल सम्पति का बेचान होने पर पंजीयन होना जरूरी है। हस्तगत जायदाद का मूल्य 200 रूपये है। उक्त पट्टे का पंजीयन नहीं है। इसलिए इसे निरस्त करने में भी कोई कानूनी अड़चन नहीं है। उक्त पट्टे से व्यथित होकर यह पंचायत निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इसे पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री पी0 डी0 दवे ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु रखी गयी।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री विक्रम सिंह चाड़वास ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी का पट्टे के आवेदन में हस्ताक्षर नहीं है फिर भी ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जबकि उक्त जायदाद की खरीद प्रार्थी द्वारा की गई है। अप्रार्थी का उक्त पट्टे वाली आवासीय मकान पर कोई कब्जा नहीं है। अप्रार्थी के पक्ष में कोई दस्तावेज नही फिर भी किस सबूत के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टे से संबंधित कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करने पर भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे के संबंध में जानकारी नहीं दी गई। अप्रार्थी संख्या 1 रामचन्द्र व ग्राम पंचायत के तत्कालीन कर्मचारियों ने मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र रचकर फर्जी पट्टा जारी किया है जिससे राज्य सरकार को भी अर्थिक रूप से हानि हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे के संबंध में मौका रिपोर्ट व कब्जा के संबंध में कोई महत्वपूर्ण दस्तावेजों व साक्ष्य की जानकारी के बिना पट्टा जारी कर दिया। जो निरस्त योग्य है। पट्टे को जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पालना नहीं गई व विधि विरूद्ध पट्टा जारी कर दिया। अतः ग्राम पंचायत धुंधाड़ा द्वारा जारी फर्जी व कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर जारी पट्टे को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक श्री पी0 डी0 दवे ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है

वो राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना के तहत जारी किया गया है। यदि ग्राम पंचायत धुंधाड़ा में उक्त पट्टे से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो इसमें अप्रार्थी संख्या 1 की कोई गलती नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को तंग करने व परेशान करने के लिये यह पंचायत निगरानी पेश की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत धुंधाडा जरिये सरपंच ने लिखित में अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा पट्टा रजिस्टर संख्या 17 पट्टा संख्या 51 मिसल संख्या 15/2000 दिनांक 17.02.2001 को जारी किया गया है। इस संबंध में निवेदन है कि उक्त जायदाद पर जारी किये गये पट्टे से संबंधित दस्तावेज पंचायत के रेकर्ड में नहीं है। उक्त जायदाद के बारे में गांव के गणमान्य लोगों ने जानकारी दी कि उक्त सम्पत्ति का मालिकाना हक प्रार्थी का ही है। साथ ही उक्त सम्पत्ति पर दिया गया पट्टा भी षडयन्त्र करके बनाया गया है। उक्त पट्टे से संबंधित रेकर्ड नहीं पाया गया है और अन्त में कथन किया कि आप अपने स्तर पर ग्राम धुंधाडा के पूर्व सरपंचों द्वारा दिये गये सभी पट्टों की सम्पूर्ण जांच करवायें। वर्ष 2000 से लेकर 2015 तक के पट्टो की जांच करावें।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति है कि ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा पट्टा रजिस्टर संख्या 17 पट्टा संख्या 51 मिसल संख्या 15/2000 जो दिनांक 17.02.2001 को रमेश कुमार, रामचन्द्र पुत्र बृजमोहन श्रीमाली (दवे) को नियम 167 (1) दिनांक 17.02.2001 को जारी किया गया होना बताया है। उक्त पट्टे से संबंधित मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत धुंधाडा से तलब करने हेतु पत्र लिखा गया। ग्राम सेवक/वर्तमान सरंपच ने लिखित में अवगत कराया कि उक्त पट्टे से संबंधित किसी प्रकार का कोई अभिलेख इस ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है।

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी के क्रय–विक्रय के दस्तावेजो की छायाप्रति से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त जायदाद प्रार्थी ने श्रीमती रामप्यारी बहन पत्नी नृसिंह भाई दवे, महेन्द्र कुमार दवे पुत्र नृसिंह भाई दवे व पुरूषोतम भाई दवे पुत्र नृसिंह भाई दवे से जरिये इकरारनामा दिनांक 18.08.2000 को खरीद की तथा इकरारनामा प्रार्थी ने अपने हक में निष्पादित करवाया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 17.05.2018 कैम्प कोर्ट लूणी में उपस्थित होकर लिखित में यह अवगत कराया कि विवादग्रस्त जायदाद का पट्टा हम दोनों भाईयों ने मिलकर बनाया है लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा की छायाप्रति से स्पष्ट है उक्त विवादग्रस्त भूमि का इकरारनामा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित है तो उक्त विवादग्रस्त जायदाद का पट्टा किस आधार पर रमेश कुमार–रामचन्द्र के नाम से बनाया गया है इस बाबत् ग्राम पंचायत से मूल रेकर्ड तलब करने पर आंदिनांक तक ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा रेकर्ड उपलब्ध नहीं करवाया और लिखित में अवगत कराया कि इस पट्टे से संबंधित कोई रेकर्ड वर्तमान में ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है।

—:आदेशः—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी स्वीकार की जाकर निगराधीन पट्टा संख्या 51 मिसल संख्या 15/2000 दिनांक 17.02.2001 को ग्राम पंचायत द्वारा धुंधाडा द्वारा जारी किया गया को एतद् निरस्त किया जाता है। साथ ही विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लूणी को निर्देश दिये जाते है कि वर्ष 2000 से 2015 तक ग्राम पंचायत धुंधाडा द्वारा जारी किये गये पट्टो की वैधानिकता की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करें। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति ग्राम पंचायत धुंधाडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.11.27 19:09:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: